



139822 - "रमज्जान में तीस दिनों के लिए तीस दुआयें" नामी पत्रक पर टिप्पणी

प्रश्न

कुछ वेबसाइट्स पर "रमज्जान में तीस दिनों के लिए तीस दुआयें" के शीर्षक से एक प्रसिद्ध पत्रक प्रकट हुआ है। जिस में पहले दिन की दुआ यह है :

اللَّهُمَّ اجْعِلْ صِيَامِ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامَ الْقَائِمِينَ، وَ نَبْهِنِي فِيهِ قِيَامَ الْغَاوِلِينَ، وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَاعْفُ عَنِي يَا عَافِيًّا عَنِ الْمُجْرِمِينَ

दूसरे दिन की दुआ यह है :

اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقْمَاتِكَ، وَوَقِّنِي فِيهِ لِقَاءً أَيَّاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

तीसरे दिन की दुआ यह है :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الدِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْتَّمْوِيَهِ، وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزَلُ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجَوَادَ الْأَجْوَادِينَ

तीसवें दिन की दुआ यह है :

اللَّهُمَّ اجْعِلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَالْقَبُولِ عَلَى مَا تَرَضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ مُحَكَّمًا فُرُوعًا بِالْأَصْوُلِ، بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

तो इस पत्रक को वितरित और प्रकाशित करने के लिए इस पर भरोसा करने का क्या हुक्म है, और रमज्जान में इसके द्वारा दुआ करने का हुक्म क्या है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

"दुआ ही इबादत है।" जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है, इसे तिर्मिजी वगैरह ने सहीह इसनाद से रिवायत किया है, और इबादतों के अंदर बुनियादी सिद्धांत "तौकीफ" और निषेद्ध है (अर्थात् जो शरीअत से प्रमाणित है उसी की सीमा पर ठहर जाना, और किसी भी इबादत का करना निषेद्ध है यहाँ तक कि शरीअत से उसका प्रमाण आ जाए). अतः स्वयं कोई इबादत ईजाद कर लेना, या उसे किसी समय या अवसर के साथ जोड़ देना जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि शरीअत से उस पर कोई प्रमाण मौजूद हो।



अतः किसी भी व्यक्ति के लिए जायज्ञ नहीं है कि वह लोगों के लिए ऐसी दुआयें निर्धारित करे जिन्हें वे विशिष्ट अवसरों पर पढ़ें।

तथा - इस बारे में - प्रश्न संख्या : (21902) और (27237) के उत्तर देखें।

रमज्जान में दुआ करने की अभिरुचि दिलाई गई है, परंतु यह अभिरुचि किसी आदमी के लिए इस बात की अनुमति नहीं प्रदान करती है कि वह अपनी ओर से दुआयें अविष्कार करे, और उसे किसी निर्धारित समय के साथ विशिष्ट कर दे, मानो कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआयें हैं। बल्कि मुसलमान किसी भी समय में और जो भी शब्द उसके लिए आसान हों उनके द्वारा दुनिया व आखिरत की जिस भलाई के लिए भी चाहे दुआ करेगा।

तथा इसी के समान : वह भी है जिससे विद्वानों ने बचने की चेतावनी दी है, जो जनसाधारण के यहाँ प्रसिद्ध है कि वे हज्ज और उम्रा में, तवाफ या सई के हर चक्कर के लिए निर्धारित दुआ विशिष्ट कर रखे हैं।

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

"इस तवाफ़ में, और न ही इसके अलावा अन्य तवाफ में, और न ही सई में : कोई विशिष्ट ज़िक्र, तथा कोई विशिष्ट दुआ अनिवार्य नहीं है। रही बात उस चीज़ की जिसे कुछ लोगों ने आविष्कार कर लिया है कि वे तवाफ़ या सई के हर चक्कर को कुछ विशिष्ट अज्ञकार या विशिष्ट दुआओं के साथ विशिष्ट कर लिया है : तो इसका कोई आधार नहीं है, बल्कि जो भी ज़िक्र व दुआ आसान हो काफी है।

"फतावा शैख इब्ने बाज़" (16/61,62)

हर चक्कर की कोई निर्धारित दुआ नहीं है, बल्कि हर चक्कर को किसी निर्धारित दुआ के साथ विशिष्ट करना : बिदअतों में से है ; क्योंकि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित नहीं है। बल्कि अधिक से अधिक जो वर्णित है वह हज्ज-अस्वद को स्पर्श करते समय 'अल्लाहु अक्बर' कहना, तथा यमानी कोने और हज्ज अस्वद के बीच :

رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة : 201].

पढ़ना है। रही बात शेष चक्कर की : तो वह सामान्य ज़िक्र, कुरआन की तिलावत, और दुआ में बितायेगा, यह किसी चक्कर के साथ विशिष्ट नहीं है।

"मजमूओ फतावा शैख इब्ने उसैमीन" (22/336).

एक और बात :



यह है कि अंतिम दिन की दुआ में ऐसी चीज़ आई है जो बुरी (आपत्तिजनक) और शरीअत के विरुद्ध है, और वह यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हक (अधिकार), और आप के अहङ्कार वैत के अधिकार के द्वारा दुआ के अंदर वसीला पकड़ा गया है।

दुआ के अंदर इस प्रकार के वसीला पकड़ने के बिदअत होने और उसके बारे में विद्वानों के कथनों का वर्णन : प्रश्न संख्या : (125339) के उत्तर में हो चुका है, सो उसे देखना चाहिए।

अतः मुसलमान को चाहिए कि उस पत्र को प्रकाशित करने में भाग न ले, बल्कि उसे चाहिए कि वह अपनी शक्ति भर लोगों को उससे सावधान रहने की चेतावनी दे।

तथा मुसलमान को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि बिदअत के अंदर कोई भलाई नहीं है कि मुसलमान उसके द्वारा अपने पातनहार की निकटता प्राप्त करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है : "हर बिदअत पथ-भ्रष्टा है।" इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 867) ने रिवायत किया है।

तथा धर्म के अंदर बिदअतें आविष्कार करने के निषेद्ध में प्रमाणित हदीसों और उससे सावधान करने के बारे में विद्वानों के कथनों को : प्रश्न संख्या : (118225) और (864) के उत्तरों में देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।